INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

135

प्रकरण कमांक–
प्रस्तुत दिनांक 20 .09.2017

माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.)
वृत्त इन्दौर के समक्ष

गोकुलसिंह PBR/पुनर्स्थापन/इन्दौर/भू.रा./2017/3604 ...प्रार्थी

विरूद्ध

बाबूलाल व अन्य ....रेस्पाडेंट

आवेदन पत्र धारा 35(3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत

सदर प्रकरण में प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :–

1. यह कि, सदर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 19/09/17 की पेशी तारीख को आंरभिक तर्क हेतु नियत होकर उक्त दिनांक को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया हैं।

2. यह कि, उक्त प्रार्थी अपने आवश्यक कार्य से बाहर चला होने के कारण गमी में गए होने से प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सका तथा प्रार्थी के अभिभाषक को तेज बुखार हो जाने से तथा स्वास्थ्य खराब होने से वह उपस्थित नही हुए तथा जूनियर अभिभाषक पुकार लगाते समय उपस्थित नही होकर प्रकरण में देरी से उपस्थित होने के चलते प्रकरण में अनुपस्थिति दर्ज कर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया हैं।

3. यह कि, अनुपस्थिति का कारण उचित व योग्य होकर सदभाविक होने से क्षम्य किये जाने योग्य हैं। ऐसी अवस्था में उक्त प्रकरण को पुनः रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक हैं अन्यथा प्रार्थी को अपरीमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य रूप में संभव नही हो सकेगी।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अनुपस्थिति की क्षमा प्रदान कर प्रकरण को पुनः उसी स्तर पर रिकार्ड पर लिए जाने बाबद उचित आदेश व निर्देश प्रदान करने की कृपा करे। यही विनय हैं।

इंदौर
दिनांक 20 .09.2017

प्रस्तुतकर्ता

अपीलांट तर्फे अभिभाषक

PBR/पुनर्स्थापन/इंदौरा/प्र.शा./2017/3604

24.10.2017

प्रस्तुतकार

आवेदक की ओर से श्री सुभाष पटेल अभिभावक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान-कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

24/10

20/09/2017

Resolve

[पीछे देखिये